रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082020-221298 CG-DL-E-22082020-221298

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

No. 3381

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SRAVANA 30, 1942

## भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

फा॰ सं॰ आरईजी-18/मैन्यु लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2018 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फाइल सं॰ आरईजी-18/मैन्यु लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018, तारीख 8 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिन की अविध की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 15 अक्तूबर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक

3848 GI/2020 (1)

(पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 है।
- (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जनवरी 2022 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा। इस तिथि से पहले अनुपालन स्वैच्छिक होगा।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, विनियम 2.4 में, उप-विनियम 2.4.5 के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- '2.4.6: खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में जानकारी का प्रदर्शन.- (1) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान जिनके पास केंद्रीय अनुज्ञप्ति हो अथवा जिनके दस या उससे अधिक निर्गम हो वे उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक खाद्य पदार्थ का कैलोरीफ मूल्य (किलो कैलोरी में प्रति सर्विंग और सर्विंग मात्रा) मैन्यू कार्ड या बोर्डों या पुस्तिका पर खाद्य पदार्थों के समक्ष प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रति दिन औसत वयस्क के लिए 2000 किलो केलोरी ऊर्जा की आवश्यकताओं पर संदर्भ जानकारी स्पष्ट रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
- (2) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान मेनू कार्ड या बोर्ड या बुकलेट पर प्रदर्शित खाद्य पदार्थों के समक्ष नीचे निर्दिष्ट जानकारी प्रदर्शित करेंगे:-
  - (क) भोजन में एलर्जी से संबंधित जानकारी; यदि खाद्य निम्नप्रकार के हैं।
    - (i) लस युक्त अनाज; यानी, गेहूं, राई, जौ, जई, वर्तनी या उनके संकरित उपभेद और इन के उत्पाद;
    - (ii) क्रस्टेशियन और उनके उत्पाद;
    - (iii) दूध और दूध उत्पाद;
    - (iv) अंडे और अंडे के उत्पाद;
    - (v) मछली और मछली उत्पाद;
    - (vi) मूंगफली के पेड़ के नट और उनके उत्पाद;
    - (vii) सोयाबीन और उनके उत्पाद;
  - (viii) 10 मि.ग्रा. / किग्रा या अधिक की सांद्रता में सल्फाइट:

परंतु कि एलर्जी को प्रतीकों को समझने के लिए आसान द्वारा चित्रित किया जा सकता है।

- (ख) शाकाहारी या मांसाहारी संबंधी लोगो;
- (3) ये उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:
- (क) इवेंट कैटरर्स और फूड सर्विस परिसर जो कैलेंडर वर्ष में साठ दिनों से कम समय तक चलते हैं (लगातार या लगातार नहीं)।
  - (ख) स्व-सेवा मसालों जो निःशुल्क हैं और मैन्यू पर सूचीबद्ध नहीं हैं।
  - (ग) ग्राहक के अनुरोध के अनुसार विशेष ऑर्डर आइटम या संशोधित भोजन और मेनू मद।

(4) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान उप-विनियमन 2.2.2 के खंड (3) के तहत निर्दिष्ट पोषण संबंधी जानकारी और उप-विनियम 2.4.4 के खंड (18), (25), (38), (46), (47) और (48) के तहत निर्दिष्ट विशिष्ट आवश्यकताएं, यदि लागू हो, प्रदान करेंगे। जैविक खाद्य या सामग्री से संबंधित जानकारी, यदि दावा किया जाता है, तो बुकलेट या हैंडआउट के रूप में या उनकी वेबसाइट पर अनुरोध पर उपभोक्ताओं को उनके द्वारा बेचे गए खाद्य पदार्थों के लिए भी प्रदान करेंगे:

परंतु कि पच्चीस प्रतिशत का विचलन पोषण संबंधी सूचना घोषणा के मामले में सहन किया जा सकता है।

- (5) ई-कॉमर्स खाद्य कारबार प्रचालकों से संबंधित खाद्य कारबार प्रचालक से खंड (1), (2) और (4) में संदर्भित जानकारी प्राप्त करेंगे और जहां भी लागू हो, उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे।
- (6) प्राधिकरण समय-समय पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को भी निर्दिष्ट कर सकता है।'

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./198/2020]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015//30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए थे:-

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 1-83एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (iv) सं. 3-16/विनिर्दिष्टए खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- (v) फा.सं.1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव./एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 25 मई, 2016;
- (vi) सं. 3-14पी /अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई -2013, तारीख 13 जुलाई, 2016
- (vii) फा.सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016; और
- (viii) फाइल सं. आरईजी/11/27/बीईवीओ-लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018, तारीख 24 दिसंबर, 2018।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

**F. No. REG-18/Menu Labelling/FSSAI-2018.**—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2018, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. REG-18/Menu Labelling/FSSAI-2018, dated the 8<sup>th</sup> October, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 15<sup>th</sup> October, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) First Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1<sup>st</sup> January, 2022. Compliance before this date shall be voluntary.
- 2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.4, after sub-regulation 2.4.5, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- **'2.4.6: Display of information in food service establishments.-** (1) Food Service Establishments having central license or outlets at ten or more locations shall mention the calorific value (in kcal per serving and serving size) against the food items displayed on the menu cards or boards or booklets and the reference information on calorie requirements shall also be displayed clearly and prominently as "An average active adult requires 2,000 kcal energy per day, however, calorie needs may vary".
- (2) Food Service Establishments shall also mention the information specified below against the food items displayed on the menu cards or boards or booklets namely:-
  - (a) information relating to allergens, if food consists of or are made of the following:
    - (i) Cereals containing gluten; i.e., wheat, rye, barley, oats, spelt or their hybridized strains and products of these;
    - (ii) Crustacean and their products;
    - (iii) Milk and milk products;
    - (iv) Eggs and egg products;
    - (v) Fish and fish products;
    - (vi) Groundnut tree nuts and their products;
    - (vii) Soybeans and their products;
    - (viii) Sulphite in concentrations of 10 mg/kg or more:

Provided that the allergens may be depicted by easy to understand symbols;

- (b) logo for vegetarian or non-vegetarian.
- (3) The provisions of this regulation shall not be applicable to the following, namely:-
  - (a) event caterers and food service premises that operate for less than sixty days in a calendar year (consecutively or non-consecutively);
  - (b) self-serve condiments that are free of charge and not listed on the menu; and

- (c) special-order items or modified meals and menu items as per request of the customer.
- (4) Food Service Establishments shall also provide nutritional information as specified under clause (3) of sub-regulation 2.2.2, specific requirements specified under clauses (18), (25), (38), (46), (47) and (48) of sub-regulation 2.4.4, if applicable and information relating to organic food or ingredients, if claimed, for the food items sold by them to consumers upon request in the form of booklets or handouts or on their website:

Provided that deviation of twenty-five per cent. may be tolerated in case of nutritional information declaration.

- (5) E-commerce Food Business Operators shall get the information referred to in clause (1), (2) and (4) from respective Food Business Operator and provide on their website wherever applicable.
- (6) The Authority may specify other food service establishments also to comply with the requirements specified in these regulations from time to time.'

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./198/2020]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7<sup>th</sup> June, 2013;
- (ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27<sup>th</sup> June, 2013;
- (iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17<sup>th</sup> February, 2015;
- (iv) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3<sup>rd</sup> May, 2016;
- (v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25<sup>th</sup> May, 2016;
- (vi) No. 3-14P/Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13<sup>th</sup> July, 2016;
- (vii) F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23<sup>rd</sup> August, 2016; and
- (viii) File No. REG/11/27/ BEVO-Labelling/FSSAI-2018, dated 24th December, 2018.